किसानों का कल्याण सर्वोपरि, 13 नवंबर तक सभी जिलों में होंगे बलराम कृषि महोत्सव : मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को दतिया से खरगोन में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव से वर्चुअली जुड़कर उन्होंने किसानों को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ 15 जुलाई को इंदौर से हुआ था और इसके बाद आलीराजपुर सहित विभिन्न जिलों में आयोजन किए जा चुके हैं। आगामी 13 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में कृषि महोत्सव आयोजित होंगे, जिनमें उन्नत खेती, नई तकनीक, कृषि उपकरणों और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जाएगी।

डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है तथा किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषक कल्याण वर्ष के तहत दोपहिया वाहनों से दूध और सब्जियां शहरों तक पहुंचाने वाले किसानों को सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। इसे किसानों की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नवाचार बताया।

मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक और उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष में 16 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुतियों से सजा 'अनुभूति' वार्षिक उत्सव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नृत्यांजलि भरतनाट्यम नृत्य अकादमी का चौथा वार्षिक उत्सव 'अनुभूति' शनिवार को रवीन्द्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का निर्देशन अकादमी की संचालिका रूपल चौरे गीते ने किया। उत्सव में साढ़े चार वर्ष से 40 वर्ष तक की 42 शिष्याओं ने भरतनाट्यम की कुल 11 प्रस्तुतियां दीं। रूपल चौरे गीते ने भी एकल नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों की सराहना प्राप्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ चित्रकार एवं मूर्तिकार देवीलाल पाटीदार तथा गुरुजनों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद क्रमवार नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं। प्रारंभ में पुष्पांजलि प्रस्तुत कर कार्यक्रम की सफलता का आशीर्वाद मांगा गया।

ब्याजखोरों पर कसेगा शिकंजा

नप्र, भोपाल : राजधानी में अवैध रूप से ऊंचे ब्याज पर रकम उधार देकर मनमानी वसूली करने वाले ब्याजखोरों पर अब पुलिस और जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं। पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध वसूली, धमकी या प्रताड़ना करने वाले ब्याजखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही ब्याज की दर और वसूली की प्रक्रिया मान्य होगी। इसके विपरीत मनमाने तरीके से ब्याज वसूलने, दबाव बनाकर संपत्ति या सामान कब्जाने अथवा कर्जदारों को प्रताड़ित करने जैसी शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में शिकायत मिलते ही त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध साहूकारी और ब्याजखोरी के नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाने तथा पीड़ितों को निर्भय होकर शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है। पुलिस का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। निर्धारित नियमों के विपरीत अवैध ब्याज वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को आर्थिक शोषण से राहत मिल सके।

सप्लाई से पहले दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 2.382 किलो जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः क्राइम ब्रांच ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीहोर से भोपाल गांजा सप्लाई करने आए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2.382 किलोग्राम गांजा और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीहोर के दो युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर भोपाल में एक ग्राहक को डिलीवरी देने आने वाले हैं।

सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर संदिग्धों को रोका। तलाशी लेने पर उनके बैग से 2.382 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सीहोर से गांजा लाकर भोपाल के छोटे डीलरों और ग्राहकों को सप्लाई करते थे। जांच के दौरान आरोपियों के पास से जब्त दो मोबाइल फोन में ग्राहकों और सप्लायरों के संपर्क नंबर भी मिले हैं। पुलिस अब इन नंबरों के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि गांजा किस स्रोत से लाया गया था और इस अवैध कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

जब्त सामग्री

गांजा: 2.382 किलोग्राम

मोबाइल फोन: 2

गिरफ्तार आरोपी: 2

पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

वकीलों की सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस और बिल्डिंग अनियमितताओं पर होगा सख्त एक्शनः रावत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल बार काउंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने पदभार संभालते ही अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया है।

शपथ ग्रहण के अगले ही दिन आयोजित बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने वकीलों की सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस, बार काउंसिल भवन की अनियमितताओं की जांच और अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कई अहम घोषणाएं कीं। रावत ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद काउंसिल सदस्यों के साथ बैठक कर अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। उनका कहना था कि परिषद का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।

युवा वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कमेटी

उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए युवा वकीलों की एक विशेष समिति गठित की जाएगी। यह समिति अधिवक्ताओं को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ दिलाने की दिशा में काम करेगी, ताकि बीमारी या आपात स्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

वकीलों और उनके परिवारों के लिए सहयोग योजना

रावत ने बताया कि अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सहयोग की नई पहल शुरू की जाएगी। किसी वकील के परिवार में विपत्ति आने पर बार काउंसिल की टीम तत्काल सहायता के लिए पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ताओं के बीच आपसी विश्वास और भाईचारा मजबूत होगा।

वकीलों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं

अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि वकीलों के साथ हाथापाई या अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इसके लिए विशेष निगरानी समितियां बनाई जाएंगी, जिनकी देखरेख अध्यक्ष और सचिव स्तर से होगी। जरूरत पड़ने पर बार काउंसिल स्वयं हस्तक्षेप करेगी।

पुलिस से होगी चर्चा, एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग

रावत ने कहा कि कोट पहने अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा कथित अभद्र व्यवहार और सीधे एफआईआर दर्ज किए जाने की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले बार काउंसिल को सूचित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एडवोकेट प्रोटेक्शन और सुरक्षा कानून की मांग भी रखी जाएगी।

चैंबर और बैठने की समस्या का होगा समाधान

भोपाल में लगभग 10 हजार अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह की कमी को गंभीर बताते हुए रावत ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग और नई बिल्डिंग का प्रस्ताव उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसे जल्द आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वर्तमान भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण बाहरी संसाधनों से कराया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद अधिवक्ताओं को नए चैंबर आवंटित किए जाएंगे। देवेंद्र रावत ने कहा कि उनका लक्ष्य बार काउंसिल को अधिवक्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित, जवाबदेह और सुविधाजनक संस्था बनाना है, जहां प्रत्येक वकील के सम्मान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बार काउंसिल भवन की होगी निष्पक्ष जांच

बार काउंसिल भवन के निर्माण में सामने आई शिकायतों और कथित अनियमितताओं पर देवेंद्र रावत ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित की जाएगी, जिसकी निगरानी सचिव और उपाध्यक्ष करेंगे। यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी।

चाय की दुकान पर दो गुटों में मारपीट वीडियो प्रसारित

नप्र, भोपाल : शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र स्थित तीन मोहरों के पास एक चाय की दुकान पर युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वीडियो में एक युवक के साथ लात-घूंसों से मारपीट होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद वह सड़क पर गिर जाता है और आसपास मौजूद लोग उसे संभालते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार तड़के करीब पांच बजे की है। हालांकि, प्रसारित वीडियो कब का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को वीडियो की जानकारी है, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। किसी अस्पताल से भी इस संबंध में चिकित्सकीय प्रकरण की सूचना नहीं मिली है। पुलिस वीडियो के आधार पर संबंधित युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। शिकायत मिलने अथवा जांच में संज्ञेय अपराध सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चलती ट्रेन में महिला का बैग झपटने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, 7 लाख के सोने के जेवर बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जीआरपी भोपाल ने करीब डेढ़ माह की कड़ी मशक्कत के बाद चलती ट्रेन में महिला यात्री का बैग झपटने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से करीब सात लाख रुपये कीमत के सोने के जेवर और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक रेल अंकित जायसवाल ने शनिवार को बताया कि 27 मई 2026 को यशवंतपुर एक्सप्रेस के एस-4 कोच में सफर कर रही आशा नागेश का बैग सीहोर के पास चलती ट्रेन से झपटकर आरोपी कूद गया था। बैग में दो मोबाइल, सोने के दो मंगलसूत्र, चार अंगूठियां, नेकलेस, चेन, कान के टॉप्स, 31 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान था। मामले में जीआरपी भोपाल ने अपराध क्रमांक 490/26 धारा 304(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान जीआरपी टीम ने पचामा से सीहोर तक करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान संजय प्रजापति उर्फ कमांडो (22) निवासी बरकुला, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना के रूप में की। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी बैरागढ़ स्थित किराये की झुग्गी छोड़कर फरार हो गया। करीब डेढ़ माह तक लगातार तलाश के बाद पुलिस को आरोपी के भाई के माध्यम से सुराग मिला। इसके बाद टीम ने मथुरा पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बैरागढ़ स्थित किराये के मकान और छतरपुर जिले के गौरिहार तहसील स्थित मौसी के घर से चोरी गए सभी सोने के जेवर और दो मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए।

जल शुद्धिकरण यंत्र नहीं देने पर कंपनी को उपभोक्ता आयोग की फटकार

नप्र, भोपाल : भोपाल के एक उपभोक्ता से 13,299 रुपये लेने के बावजूद जल शुद्धिकरण यंत्र उपलब्ध नहीं कराना एक कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कंपनी को उपभोक्ता की राशि ब्याज सहित लौटाने, पांच हजार रुपये मुआवजा तथा दो हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।

आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि कंपनी ने पूरा भुगतान प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित मॉडल का जल शुद्धिकरण यंत्र उपलब्ध नहीं कराया और बाद में उपभोक्ता की सहमति के बिना आदेश निरस्त कर दिया। यह निर्णय शिकायत दर्ज होने के लगभग चार माह बाद सुनाया गया। भोपाल निवासी अभिषेक कुमार द्विवेदी ने पांच मार्च 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने 13 जुलाई 2026 को अपना निर्णय सुनाया। शिकायत के अनुसार, अभिषेक कुमार द्विवेदी ने 11 जनवरी 2026 को 13,299 रुपये में एक जल शुद्धिकरण यंत्र खरीदा था। कंपनी ने दो से तीन दिन के भीतर इसकी आपूर्ति और बिना अतिरिक्त शुल्क के स्थापना का आश्वासन दिया था।

मिश्रित भूमि उपयोग की मांग को लेकर व्यापारियों ने उठाई आवाज

- स्थायी समाधान तक नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
- मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल नगर निगम द्वारा आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को चैंबर पदाधिकारियों ने स्थायी एवं व्यवहारिक समाधान होने तक नगर निगम की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों और क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चैंबर के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को ज्ञापन सौंप चुके हैं। शनिवार को पदाधिकारियों ने पत्रकारों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा।

गोयल ने बताया कि नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने 17 जुलाई से व्यापारियों को नोटिस जारी कर दस दिन के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने अथवा परिसरों को पूर्णतः आवासीय स्वरूप में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इससे हजारों व्यापारियों और उनसे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।

उन्होंने बताया कि भोपाल विकास योजना का अंतिम प्रकाशन वर्ष 2005 में हुआ था और इसके बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो सका। इसके कारण व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में दस नंबर मार्केट, अरेरा कॉलोनी, 11-12 नंबर मार्केट, 1100 क्वार्टर्स, सहयोग विहार, बावड़ियाकलां, रोहित नगर सहित नए भोपाल के अनेक क्षेत्रों में वर्षों से आवासीय भूखंडों से व्यापार संचालित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में अस्पताल, बैंक, चिकित्सालय, प्रदर्शनी कक्ष तथा अन्य सेवा संस्थान भी संचालित हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से व्यावसायिक दर से संपत्ति कर, विद्युत शुल्क तथा शासन द्वारा निर्धारित अन्य करों और शुल्कों का भुगतान कर रहे हैं। चैंबर के सचिव अजय देवनानी ने कहा कि नवीन मास्टर प्लान के अभाव में व्यापारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ऐसे में बिना कोई व्यवहारिक विकल्प दिए प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश न्यायसंगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति, बाजार में साख, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा कर्मचारियों और परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।चैंबर ने मांग की है कि स्थायी समाधान निकलने तक नगर निगम की समस्त दंडात्मक कार्रवाई स्थगित की जाए। साथ ही प्रमुख मार्गों पर वर्षों से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को जनहित और शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रित भूमि उपयोग नीति के अंतर्गत शामिल किया जाए तथा नया मास्टर प्लान लागू होने तक अंतरिम नीति बनाकर व्यापारियों और आमजन के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

आईआईटी बॉम्बे में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं का प्रशिक्षण संपन्न

- आधुनिक सड़क निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों का मिला व्यावहारिक प्रशिक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लोक निर्माण विभाग के 60 अभियंताओं का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे में पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 20 से 24 जुलाई तक आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अभियंताओं को आधुनिक निर्माण तकनीकों, व्यावहारिक अनुभव और विश्वस्तरीय तकनीकी ज्ञान से जोड़ना था, ताकि प्रदेश की सड़क एवं सेतु परियोजनाओं की गुणवत्ता, टिकाऊपन और कार्य निष्पादन क्षमता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अभियंताओं को कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण, निर्माण संयंत्रों के संचालन, सड़क एवं पेवमेंट में आने वाली क्षतियों, आर.ई. वॉल, जल निकासी प्रणाली तथा पेवमेंट क्षति के कारणों और उनके वैज्ञानिक समाधान संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रतिभागियों को संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कराया गया, जहां विभिन्न परीक्षण प्रक्रियाओं और आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभियंताओं ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे निर्माण कार्यों के दौरान आने वाली तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक कार्यपद्धतियों की बेहतर समझ विकसित हुई है।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार अभियंताओं के क्षमता विकास, सतत प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है।

रेलवे ब्रिज के पास दुर्घटना,चालक पर केस

नप्र, भोपाल : सूखी सेवनिया थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 203/26 में धारा 281, 125-ए बीएनएस के तहत सीजी-04-ईसी-7975 वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी शेरू मीणा ने कल्याणपुर रेलवे ब्रिज के पास दुर्घटना की शिकायत दर्ज कराई।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राजधानी संभाग क्रमांक-1, राज. परि. प्रशा., लो.नि.वि., ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है :-

स.कं.	टेन्डर नं.	निविदा क्रं. एवं दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र ऑनलाई विक्रय, डाऊनलोड की अंतिम तिथि
1	2026_CPA_523018_1	48/SAC dt. 21.07.26	राजधानी संभाग क्रमांक-1 राज. परि. प्रशा, लो,नि.वि. भोपाल के अधीन मार्गों पर बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य	Rs. 50.00	Rs.50000.00	Rs.10000/-	05.08.2026
2	2026_CPA_523019_1	49/SAC dt. 21.07.26	राजधानी उपसंभाग क्रमांक-6 रा.प.प्र., लोनिवि भोपाल के अधीन अरिहायसी भवनों की मरम्मत एवं वाटर प्रूफिंग का कार्य	Rs. 30.00	Rs.50000.00	Rs.5000/-	-तदैव-
3	2026_CPA_523020_1	50/SAC dt. 21.07.26	राजधानी उपसंभाग क्रमांक-6 रा.प.प्र., लोनिवि भोपाल के अधीन विविध स्थानों पर बेरीकेटस का प्रदाय, स्थल की सफाई, मरम्मत एवं पेंटिंग का कार्य	Rs. 30.00	Rs.50000.00	Rs.5000/-	-तदैव-

उपरोक्त वेबसाईट से ऑनलाईन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेन्डर डोक्यूमेंट) वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। निविदा प्रपत्र क्रय, डाउनलोड एवं आनलॉइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.08.2026 सायं 5.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री ,राजधानी संभाग क्रमांक 1 राज. परि. प्रशा., लो.नि.वि., ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल 0755-2464382

जी-16177/26

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

दूरभाष क्र0-0755-2512077, 2512076

क्रमांक: एफ 2/2/11/0002/12-1/नाजिर/1817 भोपाल, दिनांक 23/07/2026

ई-निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में मान. मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/अधिकारियों एवं मंत्रालय में संचालित विभिन्न विभागों के शासकीय उपयोगार्थ नाजिर शाखा से संबंधित सामग्री क्रय करने हेतु ऑनलाईन ई-निविदाएं ई-प्रोक्योरमेंट प्रोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रोसेसिंग फीस	रूपये 1000/-+ प्रोसेसिंग शुल्क
2	निविदा फार्म ऑनलाईन क्रय करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 29/07/2026 को अरान्ह 12 :बजे से
3	निविदा फार्म ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 19/08/2026 अपरान्ह 12 : बजे तक।
4	निर्धारित समयावधि में प्राप्त ऑनलाईन निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय	1. टेक्निकल बिड-दिनांक 20/08/2026 को अरान्ह 01 : 00 बजे 2. फायनेंशियल बिड-दिनांक 20/08/2026 को अपरान्ह 01:30 बजे
5	प्राप्त निविदाओं को खोलने का स्थान/निविदाओं को खोलते समय निविदाकारों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।	मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 116 (समिति कक्ष) वल्लभ भवन क्रमांक-01 भोपाल

ई-निविदा सूचना में कोई भी संशोधन समाचार पत्र में न दिया जाकर वेबसाईट पर ही जारी किये जायेगें। निविदा की विस्तृत शर्ते एवं जानकारी उपरोक्त वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

अवर सचिव (अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग

जी-16200/26